पत्र सं0–संग्रह रिकवरी इन्ट्री मोड/संग्रह अनु0/(2016–17) 749 /वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(संग्रह अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक : 14 फरवरी ,2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया परिपत्र संख्या–649/1516057 दिनांक 01.01.2016 के द्वारा वर्तमान में सृजित माँग हेतु आर0–3, आर0–27 एवं आर0–6 ऑनलाइन तैयार किये जा रहे हैं तथा वसूली प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन जारी किया जा रहा है, किन्तु पुराने वसूली प्रमाण पत्रों का विवरण VYAS Central Software में मॉडयूल में अंकन नही किया जा रहा है, जिसके कारण वसूली प्रमाण पत्रों की संख्या व निहित धनराशि का सम्यक अनुश्रवण नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है ।

उपरोक्त कारण से बकाया वसूली से सम्बन्धित सही आंकड़े परिलक्षित नहीं हो रहे है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव बकाया वसूली के साथ–साथ राजस्व संग्रह पर भी पड़ रहा है।

अतः उक्त क्रम में आपको निर्देश दिये जाते है कि पुराने जारी वसूली प्रमाण पत्रों, उनके विरूद्ध वसूली की स्थिति आदि सूचनाएं VYAS Central Software पर निर्धारित मॉडयूल में अंकन हेतु संविदात्मक रूप से नियुक्ति किये गये कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सहायता से एक माह के अन्दर प्रत्येक दशा में कराना सुनिश्चित करायें ।

-ह0-
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/कारपोरेट, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कर निर्धारण अधिकरी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर वसूली), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

एडीशलन कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।